

निर्णय विभाग, काठमाडौं (जयपुर)
 नेपाल सरकार

(Handwritten signature)

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनक को सर इजलास सनाया गया है।

दफतर हो।
 होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना बाखिल जाकर पत्रावली खरिज की जाती है। पत्रावली फसल शुमार है। अतः प्रोकरा सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आबिन्ध प्रतीत नहीं होता मसूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मसूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपक्ष न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटिडिशन में अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च विवादित मामि से सम्बन्धित रेस्पण्डेन्स के हक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकरा सरकार ने उक्त मू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयाजनाथ आवंटित की गयी विवादित मामि का आवंटि रेस्पण्डेन्स को मू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने प्रोकरा सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दरखावेजाने पेश किये।
 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपन कथन के समर्थन में सम्बन्धित मू-आवंटन आदेश मसूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आरजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिडिशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोट्टे एवं अन्य बंभाम उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब तहसीलदार कोटपुतली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत होकर तहसीलदार कोटपुतली की ओर से प्रोकरा सरकार पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लौह